उ0 प्र0 भारत स्काउट और गाइड

प्रादेशिक मुख्यालय, महानगर , लखनऊ

☎ 0522–2332928 Website :www. bsgup.org E.Mail :upscoutsguides@yahoo.com

पत्रांकः– सी.जी.– 94 / 731 /2020–21 दिनांक 24..09.2020

सेवा में,

समस्त जिला मुख्यायुक्त
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड।

विषयः– उ0प्र0 भारत स्काउट/गाइड जिला कोष के संचालन हेतु वित्तीय **नियम** ।

महोदय,

प्रादेशिक मुख्यायुक्त, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड के आदेश दिनांक 22.09.2020 के अनुपालन में उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड जिला कोष के संचालन हेतु वित्तीय नियम आपकी सेवा में संलग्न प्रेषित हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

(आनन्द सिंह रावत)
प्रादेशिक सचिव
24.9.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः–

1–प्रादेशिक मुख्यायुक्त ,उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड को उनके आदेश के अनुपालन में।
2–समस्त प्रादेशिक आयुक्त,उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड।
3–महानिदेशक, स्कूल शिक्षा ,निशातगंज लखनऊ
4–शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक,) 18 पार्क रोड, लखनऊ।
5–शिक्षा निदेशक (बेसिक), निशातगंज, लखनऊ
6–समस्त सहायक प्रादेशिक आयुक्त, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड।
7–समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
8–संयुक्त सचिव/प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण कमिश्नर(स्काउट/गाइड)।
9–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड।
10–समस्त सहायक प्रादेशिक संग0कमि0 उ.0प्र0भारत स्काउट और गाइड ।
11–समस्त जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड)उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड।
12–समस्त जिला कोषाध्यक्ष, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड ।
13–समस्त जिला सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड ।

(आनन्द सिंह रावत)
प्रादेशिक सचिव
24.9.2020

उ0प्र0 भारत स्काउट्स/गाइड्स
प्रादेशिक प्रधान केन्द्र
गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

उ0प्र0 भारत स्काउट/गाइड जिला कोष के संचालन हेतु वित्तीय नियम–

(1) जिला संस्था के कोष का संचालन जिला सचिव एवं जिला कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होगा ।

(2) जिला सचिव को रू0 1000/–(एक हजार रूपये) तक की सीमा तक व्यय करने का अधिकार होगा । रू0 1000/–(एक हजार रूपये) से अधिक के व्यय के लिए जिला मुख्यायुक्त की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

(3) लेखा से संबंधित समस्त अभिलेख(पास बुक, चेक बुक, कैश बुक, गार्ड फाइल) जिला सचिव कार्यालय में कैशियर/क्लर्क की अभिरक्षा में रहेंगी ।

(4) प्रत्येक स्तर की पत्रावली जिला सचिव के माध्यम से ही संबंधित अधिकारियों (जिला मुख्यायुक्त, जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड),(जिला कोषाध्यक्ष) को अग्रसारित की जायेगी ।

(5) जिला संस्था में मानदेय पर नियुक्त कर्मचारियों का मानदेय प्रशिक्षण शुल्क,(प्रवेश, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान इत्यादि) से प्राप्त धनराशि से ही देय होगा । प्रदेश संस्था को दिए जाने वाले शुल्कों में से किसी भी दशा में मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(6) बी0एड0/ डी0एल0एड0 एवं अन्य प्रशिक्षण शिविरों के जिला अंश में से प्रशिक्षकों के मानदेय का भुगतान उक्त बिन्दु–2 के अनुसार तभी किया जाय जब संबंधित संस्थान यह लिखित रूप में जिला संस्था को प्रस्तुत करेंगे कि संबंधित संस्थान द्वारा मानदेय का भुगतान नही किया गया है ।

(7) जिला संगठन कमिश्नर/जिला प्रशिक्षण कमिश्नर/ ट्रेनिंग काउन्सलर अपने–अपने कार्य क्षेत्र का आगामी माह का स्काउट/गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू माह के अंतिम सप्ताह में जिला सचिव को प्रस्तुत करेंगे । जिला सचिव प्राप्त कार्यक्रम में संबंधित अधिकारियों (जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड) की अनुमति प्राप्त करते हुए, जिला मुख्यायुक्त से अनुमोदित कार्यक्रम संबंधित जिला संगठन कमिश्नर/जिला प्रशिक्षण कमिश्नर/ट्रेनिंग काउन्सलर को उपलब्ध करायेगे।

(8) जिला संगठन कमिश्नर/जिला प्रशिक्षण कमिश्नर /ट्रेनिंग काउन्सलर को जिला संस्था की रसीद जिला सचिव के अनुमोदन द्वारा निर्गत की जायेगी और प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में रसीद-बुक हिसाब सहित जिला सचिव को प्रस्तुत करेंगे, जिसकी एक प्रति जिला कोषाध्यक्ष को भी प्रस्तुत करेंगे ।

(9) जिला संस्था की रसीद में प्राप्त की गई धनराशि को प्राप्ति की तिथि से अगले कार्य दिवस को जिलाकोष में जमा करना अनिवार्य होगा । नगद धनराशि प्राप्त करने वाले कार्मिक से रू0 50,000/- (पचास हजार रूपये) की सिक्यूरिटी फिक्स डिपॉजिट के रूप में प्राप्त की जायेगी । फिक्स डिपॉजिट से संबंधित अभिलेख संस्था के पक्ष में बंधक होगा, जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जाएगा । सबंधित कार्मिक के पास किसी भी दशा में उसकी सिक्योरिटी से अधिक धनराशि नगद नहीं रखी जा सकेगी तथा प्रत्येक दशा में उक्त धनराशि को उसी दिन संस्था के कोष में जमा करना अनिवार्य होगा ।

(10) जिला संगठन कमिश्नर/जिला प्रशिक्षण कमिश्नर/ ट्रेनिंग काउन्सलर को मानदेय का भुगतान एकान्ट पेयी चेक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही किया जाए, नगद भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा ।

(11) जिला कार्यकारिणी/जिला कौंसिल एवं अन्य ऐसे स्काउट/गाइड कार्यक्रम जिनका भुगतान स्काउट/गाइड कोष से किया जाना है, ऐसे कार्यक्रम के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी कार्यक्रम के पूर्व ही व्यय का अनुमानित व्यय विवरण जिला सचिव को प्रस्तुत करेंगे । जिला सचिव उसमें जिला मुख्यायुक्त की स्वीकृति प्राप्त करते हुए, कार्यक्रम हेतु संबंधित को अनुमानित कुल व्यय का 25 प्रतिशत अग्रिम उपलब्ध करायेंगे । कार्यक्रम के पश्चात कुल व्यय विवरण प्रस्तुत होने पर, अग्रिम का समायोजन करते हुए, शेष धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगे । यह ध्यान रखा जाय कि किसी भी मद में एकमुश्त रू0 1000/-(एक हजार रूपये) से अधिक की धनराशि का नगद भुगतान न किया जाय । अर्थात् ऐसे भुगतान चेक और आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही संबंधित के पक्ष में किया जाय ।

(12) एकमुश्त रू0 20000/- (बीस हजार रूपये) से अधिक व्यय होने वाले मदों के लिए 3कोटेशन प्राप्त कर मानक के अनुसार न्यूनतम कोटेशन की दर पर कार्य सम्पन्न कराया जाय तथा कोटेशन के साथ ही संबंधित फर्म का पैन/टैन नम्बर अवश्य लिया जाय । रू0 100000/- (एक लाख रूपये) या इससे अधिक के व्यय से संबंधित कार्यो के लिए

टेण्डर की प्रकिया के आधार पर कार्य सम्पन्न कराया जाएगा । रू0 20000/–(बीस हजार रूपये) या इससे अधिक के भुगतान पर नियमानुसार स्रोत पर, कर (Tax) की कटौती (टी0डी0एस0) की जायेगी तथा इसे समयान्तर्गत जमा करना अनिवार्य होगा ।

जिला मुख्यायुक्त, जिला संस्था में उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

22/09/2020

(डॉ0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त,
उ0 प्र0 स्काउट और गाइड ।
Chief Commissioner
Bharat Scouts & Guides
Uttar Pradesh, Lucknow